(भारत के राजपत्र (भाग-II) खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

फाइल संख्या ए-12018/04/2017-सीजीएचएस-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक , 2018

अधिसूचना

सा.का.नि. ------राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क (सिद्ध) भर्ती नियम, 1990 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में फार्मासिस्ट-सह-क्लर्क (सिद्ध) भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक (सिद्ध) के पद पर भर्ती नियम, 2018 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद पर संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (6) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>अनुसूची</u>

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
फार्मेसिस्ट-सह-लिपिक (सिद्ध)	02* (2017) सीजीएचएस, दिल्ली- 1 सीजीएचएस, चेन्नै-1 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, गैर-सचिवालीय	लेबल 5 (29200 - 92300 रु०)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष से के बीच 1. (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 35 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)। ऐसे पदों के संबंध में, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जानी है, आयु सीमा के निर्धारण की तिथि, वह अंतिम तिथि होगी, जिस तारीख को रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा जाता है।

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु एवं शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत होने वाले व्यक्तियों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ग्रेड बताएं जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
अनिवार्य 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से विज्ञान विषय में (भौतिकी, रसायन, गणित, अथवा जीव-विज्ञान) 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण 2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड/संस्था से सिद्ध चिकित्सा की फार्मेसी में डिप्लोमा टिप्पणी (1) अर्हताएं अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों की स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पणी :(2) अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की स्थिति में शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी चरण में सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-विभागीय प्रोन्नति समिति, सीजीएचएस, दिल्ली में शामिल हैं:- 1. अपर उप महानिदेशक (मुख्यालय), नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. उप निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य 3. सिद्ध चिकित्सक/ प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, के.स.स्वा. यो.,दिल्ली - सदस्य 4. प्रशासनिक अधिकारी, के.स.स्वा. यो.(मुख्यालय), नई दिल्ली – सदस्य	लागू नहीं

[सं. ए-12018/06/2017-सीजीएचएस- I]

(धर्मेन्द्र सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार